विविध **बैंक प्रकरण संख्या 29/2020(GCMS : 2020/00080) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर** जरिये श्री जसबीर सिंह मीलू, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय, मीरा चौक श्रीगंगानगर **बनाम 1. मैसर्स खान लाईट और ताला रिपेयर जरिये प्रो.** श्री महबूब मोहम्मद पुत्र श्री इकबाल मोहम्मद निवासी दुकान नं. I–1, सीएफएस फार्म कॉम्प्लेक्स, बीकानेर रोड, सूरतगढ श्रीगंगानगर **2. अजीज मोहम्मद पुत्र श्री इकबाल मोहम्मद 3. शमशाद बेगम पत्नी इकबाल मोहम्मद, निवासी दुकान नं. I–1, सीएफएस फार्म कॉम्पलेक्स, बीकानेर रोड़, सूरतगढ श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.02.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री भारत भूषण महेन्द्रा, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक की ओर से अप्रार्थी मैसर्स **खान लाईट और ताला रिपेयर जरिये प्रो.** श्री महबूब मोहम्मद, **श्री अजीज मोहम्मद एवं 3. शमशाद बेगम** द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज बंधक रखी गई सम्पत्ति Situated at Shop No. 1-1 C.S.F. Farm, Bikaner Road, Suratgarh Sriganganagar (Raj.) measuring 7'6"X12'=90 Sqft. का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2020 को प्रस्तुत कर रखा है और **अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:12 IST
Reason: SelfAttested

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण **खान लाईट और ताला रिपेयर जरिये प्रो.** श्री महबूब मोहम्मद, **श्री अजीज मोहम्मद एवं शमशाद बेगम** के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी महबूब मोहम्मद एवं अजीज मोहम्मद द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति Situated at Shop No. 1-1 C.S.F. Farm, Bikaner Road, Suratgarh Sriganganagar (Raj.) measuring 7'6"X12'=90 Sqft. का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का लिखित पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:12 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर